भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0–टी0 ए0 मिस वाद सं0– 119A/2018–19

केस का प्रकार–(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

सुरुबाली सरदारिन ....आवेदक / विक्रेता

बनाम

पिंकी सोय..................................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
26.10.19		

विक्रेता :– सुरुबाली सरदारिन पति स्व0 सदानन्द सरदार, ग्राम–उकरी, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड), जाति–भूमिज।

क्रेता :– पिंकी सोय पति कृष्णा सोय, ग्राम–दासियाडीह, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड), जाति–हो।

विक्रेता द्वारा दिनांक 20.07.2018 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता पिंकी सोय पति कृष्णा सोय, ग्राम–दासियाडीह, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) जाति–हो को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना / थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
खातुआकुदर	सरायकेला / 173	32	217	1.00ए0

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 2056 दिनांक 24.09.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पति के नाम पर जमाबंदी कायम है।
2. बिक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा–5.90 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहती है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जाति–'भूमिज' एवं 'हो' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता सुरुबाली सरदारिन पति स्व0 सदानन्द सरदार, ग्राम–उकरी, थाना–सरायकेला, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड), जाति–भूमिज को क्रेता पिंकी सोय पति कृष्णा सोय, ग्राम–दासियाडीह, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड),जाति–हो को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–1.00एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

26/10/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

26/10/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।